(2)

संकल्प-374
4.2.17

झारखण्ड सरकार
उद्योग,खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

विषयः— झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन 2016 में संशोधन के संबंध में।

उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग की संकल्प ज्ञापांक 1638, दिनांक 16.05.2016 के आलोक में चारो क्षेत्रीय विकास प्राधिकार विनियमन को एकीकृत करते हुए "झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन 2016" आंशिक संशोधन के साथ घोषित की गई है ताकि झारखण्ड के सारे क्षेत्रों में एकसमान विकास एवं एकसमान निर्णय लागू हो ।

विदित हो कि प्राधिकार का गठन कम मूल्यों पर MSME उद्यमियों को भूखण्ड उपलब्ध कराना तथा उसका विस्तार करना मूल उद्देश्य था। प्राधिकार मूलतः सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का केन्द्र रहा है तथा ये किसी भी राज्य के औद्योगिक अर्थ व्यवस्था का रीढ होते है। इस श्रेणी के उद्योग कम लागत में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराते हैं। झारखण्ड में रोजगार के अभाव में मानव श्रम का पलायन हो रहा है। अतः ऐसे उद्योग जैसे— टेक्सटाइल, फुटवियर, कालीन उद्योग, गारमेंट, माईनर फोरेस्ट प्रोसेसिंग केन्द्र, हर्बल प्रोसेसिंग सेन्टर,एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग सेंटर, आई.टी.एवं आई.टी.सेंटर जो कम लागत में ज्यादा रोजगार मुहैया कराते है, उनको कम लागत में भूमि उपलब्ध करवा कर श्रम सृजन की कार्रवाई आवश्यक है।

ऐसे उद्योगों को cash flow की भी कठिनाई होती है। अतः इन्हें प्रोत्साहित एवं आकर्षित करने हेतु आवश्यक है कि इन्हें रियायत दर पर भूमि के साथ–साथ, ब्याज रहित भूमि का मूल्य किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जाय। इस तरह की सुविधा सीमित अवधि के लिए दिया जाना उचित होगा ताकि अधिक से अधिक श्रम प्रधान उद्योगों को झारखण्ड में निवेश हेतु आकर्षित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में कई प्रकार के गतिविधियों (Activities) जिन्हें सरकार के विभिन्न नीतियों के तहत उद्योग का दर्जा दिया गया है अथवा उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक पाया गया है, उन्हें भी औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में घोषित नीतियों के सन्दर्भित प्रावधान निम्न प्रकार हैः—

(क) झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश संवर्द्धन नीति 2016 की कंडिका–6.5 में श्रम प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु "The government intends to provide separate and specific incentive that would be earmarked for the development of labour intensive industries. Investment in this sector is likely to create vast opportunities for ancillary and downstream industries in the small ,medium and large sector in the state" प्रावधानित है तथा कंडिका 8.2 में मानव संसाधन विकसित करने हेतु शैक्षणिक संस्थानों यथा तकनीकी संस्थानों, पौलिटेनिक, यूनिवर्सिटी इत्यादि हेतु भूमि बैंक से भूमि आवंटित करने का प्रावधान किया गया है तथा श्रम प्रधान उद्योगों को अनुदान का प्रावधान किया गया है।

(ख) झारखण्ड पर्यटन नीति 2015 की कंडिका 1.6 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इसी प्रकार झारखण्ड फिल्म नीति 2014 की कंडिका 14 में सिनेमा हॉल को एवं कंडिका 22 में फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया गया है।

(ग) झारखण्ड मे कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश संवर्द्धन नीति 2016 की कंडिका 5.10 में logistic Park, Ware House स्थापना हेतु प्रावधान है। इसी प्रकार झारखण्ड निर्यात नीति 2015 की कंडिका 2.2 में भी Ware House, Cold storage, internal container depots, air cargo इत्यादि स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

2. समान्यतः औद्योगिक क्षेत्र में भूमि अर्जन अथवा आधारभूत संरचना विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 50% राशि दी जाती है एवं 50% संबंधित औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वार अपने आन्तरिक संसाधन से दिया जाता है। परन्तु वर्तमान में राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय सहयोग को प्राधिकार द्वारा भूमि के मूल्य में Pass on नहीं दिया जाता है। श्रम प्रधान उद्योगों/इकाईयों को इसे Pass on किए जाने पर राज्य में रोजगार का सृजन ज्यादा किया जा सकेगा एवं राज्य से पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी।

3. अतएव रोजगार सृजन करनेवाले उद्योगों को प्रश्रय देने एवं घोषित नीतियों में सन्निहित किये गये प्रावधानों को औद्योगिक इकाईयों के स्थापनार्थ कार्यान्वित करने हेतु सम्यक विचारोपरान्त **"झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन 2016"** के निम्न कंडिकाओं में निम्नप्रकार संशोधन किया जाता है :–

कंडिका 6(d) :– कंडिका–6 को विलोपित करने एवं उसके स्थान पर कंडिका 6(d)(i) से कंडिका 6(d)(iv) उप कंडिकाओं को समावेशित किया जाता है:–

- (i) Jharkhand Industrial Area Development Authority shall encourage establishment of labour intensive industries like, textiles, garment, footwear, minor forest produce processing sector, herbal processing sector, agri and food processing sector, IT and ITeS Sector.
- (ii) Apart from sector identified in 6(d) (i), the Board of Directors of Jharkhand Industrial Area Development Authority on recommendation of Project Clearance Committee can classify similar and suitable industries under labour intensive industries.
- (iii)- The reserve price of land for industries identified in para - (i) and (ii) shall be 50% of the price fixed in the industrial area. Such industries shall have the eligibility to pay premium in ten equal installment (without interest) in spread of five year. If any industry fails to pay installment in time, the interest of 15% shall be levied on such installment from the due date. This provision will be applicable only for five years from the date of publication of the notification of this amendment.
- (iv) Industrial Park in sector mentioned in 6(d) (i) and 6 (d) (ii) shall also be eligible for benifits under 6(d)(iii) above. However, developer of such Industrial park can allot developed plot/buillup area to industries of specified sector only.

कंडिका–7 :– कंडिका–7 में (i) से (iv) के अतिरिक्त (v) से (viii) उप कंडिकाओं को सम्मिलित किया जाता है:–

(V) "Jharkhand Industrial Area Development Authority may allot land for educational Institution like Engineering/Medical/Technical College, Polytechnic, ITI, University."

(VI) "Hospital, Tourism sector project, Film Industries sector project shall be eligible for allotment of land in industrial area".

(VII) "Logistic facilities like warehouse, cold storage, godown, Cargo facilities will be eligible" for allotment of land in industrial area.

(VIII) "Jharkhand Industrial Area Development Authority shall reserve plot in industrial area for any labour intensive industry as identified at above para 6(d)(i) and 6(d)(ii).

कंडिका–8 (i) :– कंडिका–8 में उप कंडिका (i) में (k) उप कंडिका society/Turst सम्मिलित किया जाता हैं :–

कंडिका–12(iii) :–कंडिका–12 (iii) के अन्त में Society/Trust – Chairman or Secretary/ Trustee सम्मिलित किया जाता है।

कंडिका–15 (i) :– कंडिका–15(i)के तीसरी पंक्ति में Land allotment order के पूर्व Provisional (औपबंधिक) शब्द समावेश का प्रस्ताव है। उसी प्रकार छठी पंक्ति में allotment order के स्थान पर Provisional land allotment order प्रतिस्थापित किया जाता है।

कंडिका–19(i) :–कंडिका–19 (i) में "From the date of taking physical possession" के स्थान पर "From the date of approval of factory/shed or/ and building plan" प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. विभागीय पत्रांक 3207, 3208, 3209 एवं 3210 दिनांक 16.10.2015 के द्वारा आदित्यपुर/ बोकारो/संस्थाल परगना/रॉची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार तथा विभागीय ज्ञापांक 1638 दिनांक 16.05. 2016 द्वारा निर्गत संकल्प के विनियमन संबंधी संशोधन की अन्य कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

5. संकल्प निर्गत होने की तिथि से संशोधित प्रावधान प्रभावी होगा।

प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 31.01.2017 की बैठक के मद संख्या–19 में इसकी स्वीकृति दी गई है।

आदेशः एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का विस्तृत प्रचार–प्रसार करते हुए इसकी प्रति झारखण्ड गजट के विशेष अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसे सभी विभागों/विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच परिचालित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

6/2/17

(सुनील कुमार वर्णवाल)
सरकार के सचिव
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 374 /राँची, दिनांक 7.2.17

04/उ0नि0/(प्राधि0विनियमन–2015)–30/2015

प्रतिलिपि: अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, झारखण्ड, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड गजट की आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट के 100 मुद्रित प्रति इस विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।

6/2/17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 374 /राँची, दिनांक 7.2.17

04/उ0नि0/(प्राधि0विनियमन–2015)–30/2015

प्रतिलिपि: महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/महामहिम राज्यपाल के सलाहकार के आप्त सचिव/विकास आयुक्त, झारखण्ड/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची, बोकारो, आदित्यपुर एवं दुमका/प्रबंध निद्रेशक, औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम, राँची/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवई हेतु प्रेषित।

6/2/17

सरकार के सचिव।